ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

बालिका वधू : देश बदल रहा है

बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। अत: इसका निदान सामाजिक जागरूकता से ही सम्भव है। बचपन तो एक गीली मिट्टी के घड़े के समान होता है। इसे जिस रूप में ढाला जाए, वह उसी रूप में ढल जाता है। जिस उम्र में बच्चे खेलते-कूदते हैं अगर उस उम्र में उसका विवाह करा दिया जाए तो जीवन खराब हो जाता है। तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में बाल विवाह की कुप्रथा का अंत नहीं हो पाया लेकिन पिछले दस वर्षों में बाल विवाहों की संख्या 44 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह गई है। इस बात का खुलासा 2011 की जनसंख्या के जारी आंकड़ों से हुआ है। वैसे तो सभी समुदायों में बाल विवाह घटे हैं लेकिन सिख समुदाय में बाल विवाह महज 11 प्रतिशत रह गए हैं। मुस्लिमों में भी यह आंकड़ा 43 प्रतिशत से घटकर 30.6 प्रतिशत रह गया है।

ईसाई समुदाय में बाल विवाह का आंकड़ा भी 12 फीसदी रह गया है। यह आंकड़े तो 2011 के हैं और पिछले 5 वर्षों में सम्भवत: यह आंकड़ा 25 फीसदी रह जाने की उम्मीद है। इन आंकड़ों का कोई अर्थ है तो केवल यह कि देश बदल रहा है, लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। बाल विवाह का सबसे बड़ा कारण लिंग भेद और अशिक्षा है। साथ ही लड़कियों को कम रुतबा दिया जाता है एवं उन्हें आर्थिक बोझ भी समझा जाता है। इसके पीछे अज्ञानता ही जिम्मेदार है या फिर धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं और रीति-रिवाज ही इसका मुख्य कारण हैं। कारण चाहे कोई भी हो, इसका खामियाजा तो बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। पुरानी रिपोर्टों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि कभी 47 फीसदी लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती थी और 22 फीसदी बालिकाएं 18 वर्ष से पहले ही मां बन जाती थीं। बाल विवाह हमारे सार्वजनिक जीवन के उस स्याह पहलू की ओर इशारा करते हैं जिन्हें हम अक्सर रीति-रिवाज और परम्परा के नाम पर देखा करते हैं।

बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया और इसे 1929 में पारित किया गया। अंग्रेजों के समय बने शारदा एक्ट के मुताबिक नाबालिग लड़के और लड़कियों का विवाह करने पर जुर्माना और कैद हो सकती है। इस एक्ट में आज तक तीन संशोधन किए गए हैं। दरअसल शारदा एक्ट महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध नाटक 'शारदा विवाह' से प्रेरित होकर बनाया गया था। राजस्थान में बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने इसे लागू करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किए थे। इसके बाद 1978 में संसद द्वारा बाल विवाह निवारण कानून में संशोधन कर इसे पारित किया गया जिसमें विवाह की आयु लड़कियों के लिए कम से कम 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई।

बाल विवाह जैसी कुप्रथा के चलते बालिकाएं अपने अधिकारों से वंचित कर दी जाती हैं। बाल विवाह न केवल बालिकाओं की सेहत के लिहाज से बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास के लिहाज से भी खतरनाक है। कम आयु में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 की धारा 9 और दस के तहत बाल विवाह के आयोजन पर दो वर्ष तक का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। देश के आर्थिक विकास, बढ़ती जागरूकता और शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो जाने पर भी बाल विवाह जारी हैं लेकिन यह अच्छी बात है कि अब देश में बालिका वधुओं की संख्या घट रही है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के चलते बालिकाएं अपने अधिकारों से वंचित कर दी जाती हैं। बाल विवाह न केवल बालिकाओं की सेहत के लिहाज से बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास के लिहाज से भी खतरनाक है। कम आयु में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यह गरीब और निरक्षर तबके में जारी है लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि निरंतर गरीब तबके में भी बाल विवाह का आंकड़ा कम हुआ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया है और समाज भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहा है, उससे इस वर्ष के सभी परीक्षा परिणामों में भी बेटियां ही टॉप रही हैं। लड़कियों को बोझ मानने की मानसिकता भी बदल रही है। लड़कियां खुद कम उम्र में शादी का विरोध करने लगी हैं लेकिन अभी हमने बहुत लम्बा सफर तय करना है। भारतीय ग्रामीण समाज अशिक्षा के साथ-साथ आर्थिक संकटों से घिरे रहने के कारण वह कम उम्र की बेटियों का ब्याह कर जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है लेकिन शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने के बाद समाज में सोच बदल रही है। माता-पिता अब बच्चियों को लेकर निश्चिंत होने लगे हैं। उन्हें अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए आर्थिक प्रबंधन नहीं करना पड़ता। उम्मीद की जा सकती है कि बाल विवाह को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। बेटियों के लिए राज्य सरकारें पहले से कहीं अधिक काम कर रही हैं। जिस दिन समाज रूढ़ीमुक्त हो जाएगा उसी दिन यह कुप्रथा खत्म हो जाएगी। समाज के प्रबुद्धजनों को आगे आकर लोगों को जगाना होगा और उनके प्रयासों से सफलता मिल ही जाएगी।